संख्या-88/2024/001-3103295/12-2099/238/2021

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजनान्तर्गत 164 नवीन बी-पैक्स हेतु धनराशि रू0 656.00 लाख की मार्जिन मनी की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग)/प्रभारी अधिकारी (पी.एम.यू.सेल, ए.आई.एफ.) सहकारिता, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1055/ए0आई0एफ0(पी0एम0यू0से0) दिनॉक 12 नवम्बर, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजनान्तर्गत 164 नवीन बी-पैक्स हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-05-आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 656.00 लाख (रूपये छः करोड़ छप्पन लाख मात्र) के मार्जिन मनी की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड-लाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
2. नाबार्ड से पुनर्वित्त की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि आहरित की जाएगी,
3. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जाएगी,
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का रहेगा,
6. ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा,
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि स्वीकृत किए जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत धनराशि का उपयोग, ऐसे पैक्स के लिए 164 (सूची संलग्न), जो लाभ पर हैं एवं जिनके पास अपनी भूमि है किन्तु ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध नहीं है, के लिए किया जाएगा क्योंकि ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड से पुनर्वित्त, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक को तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जबकि सम्बन्धित पैक्स के पास मार्जिन मनी उपलब्ध हो।

13. मार्जिन मनी हेतु प्रति पैक्स अधिकतम रू. 4.00 लाख उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक को अवमुक्त किया जाएगा ताकि पैक्स को मार्जिन मनी उपलब्ध होने पर उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत पैक्स को ऋण स्वीकृत करते हुए नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त किया जा सके।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,56,00,000 (रुपये छह करोड़ छप्पन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090500 आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

संख्या-88/2024/001-3103295(1)/12-2099/238/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग)/प्रभारी अधिकारी, (पी0एम0यू0सेल, ए0आई0एफ0), सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या:1055/ए.आई.एफ. (पी.एम.यू.सेल), दिनॉक 12 नवम्बर, 2024 के सन्दर्भ में,

4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ,

5. विशेष सचिव/प्रभारी (ए.आई.एफ. पी.एम.यू. सेल), उत्तर प्रदेश शासन,

6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ,

7. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,

8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,

9.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,

10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।